

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 24 / 2017

दर्ज दिनांक:—19.04.2017

1. श्रीमति तुलसा वगै. पता—प्रार्थी
बनाम
2. ओमप्रकाश पता—अप्रार्थीगण

उपस्थित:
मनीष चौधरी

प्राथी अभिभाषक
अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—01.04.2019

वकील वादीगण उप./ कई बार अवसर देने के बाद भी वादीगण द्वारा प्रार्थीगण की तलवी नहीं कराई गई है। तलवी हेतु अन्तिम अवसर भी दिए गए। साथ ही दिनांक 18.01.2019 को तलवी न कराने पर दावा अपालना में खारिज करने की चेतावनी भी दी गई। प्रतीत होता है कि वादीगण अपने दावा के प्रति सजग नहीं है। ऐसी स्थिति में दावा वादीगण ओ.9.नियम.5.सी.पी.सी. के तहत आपालना में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

सत्यमेव जयते

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

Web Copy - Not Official